उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-4/62/पांच-8-2016-03(नियुक्ति)/2010टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 07 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-999/चि-3-2009-03(नियुक्ति)/2010, दिनांक 15-04-2010 द्वारा डा0 सन्तोष कुमार तिवारी, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। इस क्रम में डा0 तिवारी द्वारा दिनांक 23-04-2010 को मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के अधीन योगदान आख्या प्रस्तुत की गई। मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के आदेश दिनांक 27-04-2010 द्वारा डा0 तिवारी की तैनाती सामु0स्वा0 केन्द्र, सोहावल, फैजाबाद में की गयी। डा0 तिवारी का चयन एम0डी0 एनेस्थीसिया में हो जाने के कारण दिनांक 24-05-2012 को पत्र प्रेषित करते हुए अध्ययनरत हो गये। डा0 तिवारी द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में डा0 तिवारी के दिनांक रहित पत्र एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 सन्तोष कुमार तिवारी, चिकित्साधिकारी (एम0डी0 एनेस्थीसिया) को जिला संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर में योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। डा0 तिवारी की अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 सन्तोष कुमार तिवारी, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 07-02-2016 तक जिला संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया

संयुक्त सचिव।

क्रमशः

<u>संख्या-4/62(1)/पांच-8-2016-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 सन्तोष कुमार तिवारी, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 07-02-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद/देवी पाटन मण्डल, गोण्डा।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद।

6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर।

7- कोषाधिकारी फैजाबाद/बलरामपुर ।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- प्रभारी/ कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10-गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-5/63/पांच-8-2016-म(345)/2012टी0सी0-4
लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2883/पांच-8-2014-म(345)/2012, दिनांक 07-10-2014 द्वारा डा0 राजेश कुमार, नव नियुक्त चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। इस क्रम में डा0 कुमार द्वारा दिनांक 27-10-2014 को कार्यभार ग्रहण किया गया तथा दिनांक 16-03-2015 तक कार्य किया गया। डा0 कुमार दिनांक 16-03-2015 को पी0जी0 डी0सी0एच0 कोर्स पूर्ण करने हेतु अनुमति की प्रत्याशा में अध्ययनरत हो गये। डा0 कुमार द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पत्र दिनांक 29-09-2015 द्वारा पुन: योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या दिनांक 16-11-2015 एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 राजेश कुमार, चिकित्साधिकारी (डी0सी0एच0) को मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। डा0 कुमार की अनुपस्थिति की अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 राजेश कुमार, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 07-02-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया
संयुक्त सचिव।

क्रमश:

संख्या-5/63(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 राजेश कुमार, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 07-02-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ ।

6- कोषाधिकारी आजमगढ़ ।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी/ कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9-गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।